शिक्षण संस्थानों में जेंडर-आधारित हिंसा एवं सुरक्षा के सार्थक समाधानों पर विश्लेषण

मीनाक्षी यादव*
दीपा मेहता**

इस लेख में शैक्षणिक संस्थानों में जेंडर-आधारित हिंसा के मुद्दों की जाँच करने का प्रयास किया गया है, जिसमें जेंडर-आधारित हिंसा की व्यापकता, कारणों और परिणामों की चर्चा पर ध्यान केंद्रित किया गया है। प्रस्तुत लेख में शिक्षण संस्थानों के भीतर छात्राओं, विशेषकर महिलाओं द्वारा अनुभव की जाने वाली हिंसा के विभिन्न रूपों पर चर्चा की गई है। शैक्षणिक संस्थानों में जेंडर असमानता और जेंडर भेदभाव सहित जेंडर आधारित हिंसा में योगदान देने वाले कारकों पर प्रकाश डाला गया है। यह लेख इस मुद्दे को संबोधित करने और सभी विद्यार्थियों के बीच सम्मान, समानता एवं अहिंसा को बढ़ावा देने वाले सुरक्षित, समावेशी और जेंडर आधारित समान शिक्षण वातावरण को बढ़ावा देने की तत्काल आवश्यकता पर बल देता है। इस लेख में प्रस्तुत निष्कर्ष जेंडर आधारित हिंसा के परिप्रेक्ष्य में चेतना का विकास करते हैं और शैक्षणिक संस्थानों से जेंडर आधारित हिंसा को समाप्त करने के लिए भविष्य में होने वाले शोध, नीति विकास और निवारक उपायों के कार्यान्वयन का आह्वान करते हैं।

हिंसा को विभिन्न रूपों में परिभाषित किया जाता है, जिसमें शारीरिक हिंसा, भावनात्मक हिंसा, किसी भी प्रकार की चोट या दर्द, कोई कार्य करने के लिए बाध्य करना, जबरदस्ती दुर्व्यवहार, बल का उपयोग करना, साथ ही ऐसा सामाजिक, राजनीतिक या आर्थिक परिवेश, जो जीवन की गुणवत्ता को नुकसान पहुँचाता है, शामिल है। जेंडर आधारित हिंसा किसी व्यक्ति के खिलाफ उसके जेंडर के कारण निर्देशित होने वाली हिंसा है, जो किसी विशेष जेंडर के व्यक्तियों को विशेष रूप से प्रभावित करती है। हिंसा एक दर्दनाक अनुभव है। जेंडर आधारित हिंसा मुख्य रूप से पुरुषों द्वारा महिलाओं और लड़कियों पर की जाती है। जेंडर-आधारित हिंसा दुनिया के हर समाज में विभिन्न रूपों में मौजूद है। भारत में जेंडर-आधारित हिंसा के अंतर्गत व्यवहार के अन्य गंभीर रूपों को भी शामिल किया जा सकता है। इन व्यवहारों में मौखिक और जबरदस्ती दुर्व्यवहार, शारीरिक चोट, गंभीर शारीरिक नुकसान और यौन शोषण शामिल है, जो महिलाओं की गरिमा, सुरक्षा, प्रजनन क्षमता और उनके अपने शरीर पर नियंत्रण के अधिकार को प्रभावित करते हैं, इसके अतिरिक्त इनका महिलाओं के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य

**शोधार्थी*, शिक्षा संकाय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी, उत्तर प्रदेश 221005
***एसोसिएट प्रोफेसर*, शिक्षा संकाय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी, उत्तर प्रदेश 221005

पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। जेंडर-आधारित हिंसा पुरुषों और महिलाओं के बीच शक्ति असमानता से उत्पन्न होती है, जो सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक तथा संरचनात्मक असमानताओं के कारण और बढ़ जाती है। ब्लूम (2008) ने जेंडर-आधारित हिंसा को एक सामान्य शब्द के रूप में परिभाषित किया है, जिसका उपयोग किसी विशिष्ट समाज में हिंसा के लिए किया जाता है, जो प्रत्येक जेंडर से जुड़ी मानक भूमिका या अपेक्षाओं के साथ-साथ दो लोगों के बीच असामान्य शक्ति संबंधों के परिणामस्वरूप उत्पन्न होती है।

जेंडर-आधारित हिंसा— अवधारणा

विश्व स्वास्थ्य संगठन (2020) ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा को परिभाषित करते हुए बताया है, "जेंडर-आधारित हिंसा का कोई भी कार्य, जिसके परिणामस्वरूप महिलाओं को शारीरिक, यौन या मनोवैज्ञानिक नुकसान या पीड़ा होती है, जिसमें ऐसे कृत्य, जैसे— धमकियाँ, जबरदस्ती या स्वतंत्रता से मनमाने ढंग से वंचित करना शामिल है, जेंडर-आधारित हिंसा है।" हिंसा कहीं भी हो सकती है, सड़क या कार्यस्थल पर, यौन उत्पीड़न के रूप में या घर पर बलात्कार और मारपीट के रूप में। वैश्विक आपात स्थितियों, संकटों और संघर्षों ने महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा तथा जोखिम संबधित कारकों को बढ़ा दिया है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (2021) के अनुसार जेंडर-आधारित हिंसा दुनियाभर में प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के साथ-साथ मानवाधिकार समस्याओं का भी कारण है। यह देखा गया है कि जेंडर-आधारित हिंसा एक सार्वभौमिक घटना है। लगभग सभी देशों में जेंडर-आधारित हिंसा मौजूद है। अनुमान के मुताबिक महिलाओं के खिलाफ हिंसा का स्तर अलग-अलग देशों में अलग-अलग है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अपने जीवनकाल के दौरान लगभग 30 प्रतिशत महिलाओं को या तो पीटा जाता है, बलात्कार किया जाता है या उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के नवीनतम आँकड़ों के अनुसार देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। ब्यूरो ने बताया कि महिलाओं के खिलाफ अपराध की दर (प्रति एक लाख जनसंख्या पर घटनाओं की संख्या) 2020 में 56.5 प्रतिशत से बढ़कर 2021 में 64.5 प्रतिशत हो गई है। प्रत्येक तीन में से एक महिला जेंडर-आधारित हिंसा का शिकार है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट (2012) के अनुसार महिलाओं के खिलाफ हिंसा महिलाओं की जीवनशैली, शरीर, मनोविज्ञान और स्वतंत्रता को खतरे में डालती है। इसे दुनिया में सबसे व्यापक, लेकिन सबसे कम मान्यता प्राप्त दुर्व्यवहार कहा गया है। ब्यूरो देश में प्रतिवर्ष होने वाले विभिन्न प्रकार के अपराधों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। अपने घरों और कार्यस्थलों में सत्ता तथा पदानुक्रम में महिलाओं को अक्सर हिंसा का सामना करना पड़ता है। हालाँकि इन आँकड़ों को साक्ष्य के रूप में उपयोग करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि ये मामले केवल महिलाओं के उन वर्गों के प्रतिनिधि हैं, जो सरकारी तंत्र तक पहुँचते हैं। जेंडर-आधारित हिंसा के अप्रकाशित मामलों का एक बड़ा हिस्सा बड़े पैमाने पर छिपा हुआ है।

संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिनिधि ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा के प्रकारों को परिवार के भीतर हिंसा, समुदाय में हिंसा और राज्य द्वारा की गई हिंसा में वर्गीकृत किया है।

जेंडर-आधारित हिंसा के आयाम

जेंडर-आधारित हिंसा को तीन आयामों के संदर्भ में समझाया जा सकता है—

1. **प्रत्यक्ष हिंसा**— प्रत्यक्ष हिंसा से तात्पर्य व्यक्तियों या समूहों पर किए गए आक्रामक शारीरिक या मौखिक कृत्यों से है, जिसके परिणामस्वरूप तत्काल चोट, दर्द या पीड़ा होती है। इसमें नुकसान पहुँचाने के उद्देश्य से जान-बूझकर की गई कार्यवाही शामिल है, जैसे— शारीरिक हमला, यौन हिंसा या मौखिक दुर्व्यवहार (गलतुंग, 1990)।
2. **संरचनात्मक हिंसा**— संरचनात्मक हिंसा का तात्पर्य नुकसान और असमानता के व्यवस्थित और अप्रत्यक्ष रूपों से है, जो सामाजिक संरचनाओं, संस्थानों और नीतियों में अंतर्निहित हैं।
3. **सांस्कृतिक हिंसा**— सांस्कृतिक हिंसा उन सामाजिक मानदंडों, विश्वासों और प्रथाओं को संदर्भित करती है, जो प्रत्यक्ष एवं संरचनात्मक हिंसा को कायम रखते हैं और उचित ठहराते हैं (गलतुंग, 1990)।

जेंडर-आधारित हिंसा के प्रकार

जेंडर-आधारित हिंसा के प्रकार निम्नलिखित हैं—

- **शारीरिक हिंसा**— शारीरिक हिंसा तब होती है, जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए अपने शरीर के किसी हिस्से या किसी वस्तु का उपयोग करता है। इसमें हमला करना, मारना, चुटकी काटना, हाथ मरोड़ना, गला घोंटना, जलाना, छुरा घोंपना, मुक्का मारना, धकेलना, पीटना, लात मारना, किसी हथियार या अन्य वस्तु से हमला करना या कोई अन्य कठोर व्यवहार शामिल हो सकता है।
- **मौखिक हिंसा**— मौखिक दुर्व्यवहार तब होता है, जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को नुकसान पहुँचाने के लिए अभद्र भाषा का उपयोग करता है। मौखिक हिंसा में किसी महिला या उसके निकट संबंधी और प्रियजनों के खिलाफ अभद्र या अपमानजनक और गंदी भाषा का उपयोग, चिल्लाना, नाम-पुकारना, अफवाहें फैलाना, झूठ बोलना, नकारात्मक अपेक्षाएँ करना और अविश्वास शामिल होता है।
- **मनोवैज्ञानिक हिंसा**— मनोवैज्ञानिक हिंसा तब होती है, जब कोई नियंत्रण हासिल करने के लिए धमकियों का इस्तेमाल करता है और व्यक्ति में डर पैदा करता है। मनोवैज्ञानिक हिंसा में दूसरों से अलगाव, मौखिक आक्रामकता, धमकी, नियंत्रण, उत्पीड़न या पीछा करना, अपमान और मानहानि जैसे कार्य शामिल है, जिसमें प्रेम, स्नेह, चिंता, सहानुभूति, और देखभाल का अभाव शामिल है।
- **यौन हिंसा**— यौन हिंसा तब होती है जब किसी व्यक्ति को अनिच्छा से यौन गतिविधियों में भाग लेने के लिए विवश किया जाता है। जिसका अर्थ न केवल अभद्र व्यवहार करके किसी महिला की गरिमा को छीनना है, बल्कि यह बलात्कार या सहमति के बिना छूने का रूप भी ले सकती है। किसी व्यक्ति को यौन कार्य

करने के लिए विवश करना, जो अपमानजनक या दर्दनाक हो सकता है, शरीर के यौन अंगों को पीटना, किसी व्यक्ति को अश्लील सामग्री देखने के लिए विवश करना, जबरन वेश्यावृत्ति के लिए प्रताड़ित करना आदि शामिल है।

- **आर्थिक हिंसा**— वित्तीय दुरुपयोग तब होता है, जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की सहमति के बिना उसके वित्तीय संसाधनों को नियंत्रित करता है, उसकी संपत्ति छीन लेता है और व्यवसायों की पसंद को नियंत्रित करना भी शामिल है।
- **बौद्धिक हिंसा**— बौद्धिक हिंसा का अर्थ है किसी को महत्वपूर्ण मुद्दे पर निर्णय लेने और चर्चा में भाग लेने के अधिकारों से वंचित करना है।
- **सांस्कृतिक हिंसा**— सांस्कृतिक हिंसा तब होती है, जब किसी व्यक्ति को उन प्रथाओं के परिणामस्वरूप नुकसान पहुँचाया जाता है जो उसकी संस्कृति, धर्म या परंपरा का हिस्सा हैं।

जेंडर-आधारित हिंसा उपलब्ध शोध

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर किए गए एक शोध अध्ययन (विश्व स्वास्थ्य संगठन, 9 मार्च, 2021) में कहा गया है कि दुनिया में हर तीन में से एक महिला किसी पुरुष द्वारा की गई शारीरिक और यौन हिंसा के कारण पीड़ित होती है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में बलात्कार के प्रत्येक 100 मामलों में से केवल 10 ही रिपोर्ट किए जाते हैं और प्रत्येक 100 दर्ज मामलों में से केवल 5 अपराधियों को दोषी ठहराया जाता है (वासुदेव, 2012)। जेंडर-आधारित हिंसा का शिकार होने से जुड़ी शर्म और कलंक को अक्सर सामाजिक और संस्थागत प्रवचनों और मानदंडों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। उदाहरण के लिए, जेंडर-आधारित हिंसा को खत्म करने के उद्देश्य से कार्यक्रम और पहल नियमित रूप से महिलाओं या इन अपराधों के पीड़ितों पर निर्देशित की जाती हैं। हिंसा को रोकने की जिम्मेदारी अपराधियों या उन संदर्भों के बजाय महिलाओं (पीड़ितों) पर डाल दी जाती है, जो इन अपराधों को और बढ़ावा देती हैं। जैसा कि गाउस और क्रिटजिंगर (2007) का मानना है, शैक्षणिक संस्थान जेंडर-आधारित हिंसा को गंभीरता से लेने वालों के रूप में अपनी छवि बनाना चाहते हैं। उन्हें डर है कि जेंडर-आधारित हिंसा को सक्रिय रूप से संबोधित करने से, रिपोर्टिंग में वृद्धि होगी, जो उनकी संस्थागत छवि को धूमिल कर सकती है। अहमद (2015) के अनुसार स्कूल और कॉलेज की छवि को नुकसान से बचाने के लिए यौन उत्पीड़न की शिकायतों को भी सार्वजनिक नहीं किया जाता है। शेट्टी (2017) ने पुणे शहर में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के प्रति किशोरों के ज्ञान और दृष्टिकोण का अध्ययन किया, जिसमें पाया गया कि जेंडर आधारित हिंसा की शिकार महिलाओं का समूह बहुत व्यापक है। शंकर (2010) ने अपने अध्ययन में पाया कि भारत में कार्यस्थल पर महिलाएँ सुरक्षित महसूस नहीं करती और अक्सर घरेलू हिंसा और यौन उत्पीड़न का शिकार होती है। पाण्डेय (2021) ने ईव-टीजिंग के विशेष संदर्भ में जेंडर हिंसा के बदलते पहलू का अध्ययन किया और पाया कि छेड़-छाड़ दैनिक जीवन की एक बड़ी समस्या है। मीना (2022) ने अपने अध्यन में चेन्नई जनपद में महिलाओं के खिलाफ जेंडर संवेदनशीलता

और हिंसा के प्रति कॉलेज के छात्रों के रवैया को देखा और पाया कि भारतीय महिलाएँ दुनिया में पितृसत्तात्मक मानसिकता के कारण पीड़ित हैं।

जेंडर-आधारित हिंसा का अनुभव करने वाली महिलाओं और लड़कियों को वित्तीय, कानूनी और सामाजिक स्तर पर कई प्रकार के प्रभावों का सामना करना पड़ता है। इसका महिलाओं के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (2012) के अनुसार, जिन महिलाओं ने जेंडर-आधारित हिंसा का अनुभव किया है, उनके अपने गैर-दुर्व्यवहार समकक्षों की तुलना में खराब समग्र स्वास्थ्य और पुरानी कई गंभीर बीमारियों से पीड़ित होने की अधिक संभावना है।

जेंडर-आधारित हिंसा के कारण

- **पितृसत्ता और जेंडर असमानता**— पितृसत्तात्मक व्यवस्था, जो पुरुष प्रभुत्व और नियंत्रण को प्राथमिकता देती है, जेंडर-आधारित हिंसा को कायम रखने में योगदान करती है। कठोर जेंडर मानदंडों और पदानुक्रमों को कायम रखने वाले समाज अक्सर महिलाओं और हाशिए पर रहने वाले जेंडर को हीन और अधीनस्थ के रूप में देखते हैं, जिससे उनके खिलाफ हिंसा का सामान्यीकरण हो जाता है।
- **सामाजिक और सांस्कृतिक मानदंड**— सांस्कृतिक मान्यताएँ, मानदंड और दृष्टिकोण, जो जेंडर रुढ़िवादिता और भेदभाव को सुदृढ़ करते हैं, जेंडर-आधारित हिंसा की स्वीकृति प्रदान करते हैं। इन मानदंडों में पुरुष प्रभुत्व की अपेक्षाएँ और यह विचार कि महिलाएँ संपत्ति या वस्तु हैं और पीड़ितों को कलंकित करना आदि शामिल हो सकते हैं।
- **शक्ति असंतुलन**— जेंडर-आधारित हिंसा अक्सर जेंडर के बीच शक्ति असंतुलन से उत्पन्न होती है, जहाँ सत्ता की स्थिति में बैठे व्यक्ति कम शक्ति वाले लोगों का शोषण और दुरुपयोग करते हैं। यह शक्ति असंतुलन विभिन्न रूपों में प्रकट हो सकता है, जैसे सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के खिलाफ हिंसा एवं यौन उत्पीड़न।
- **सामाजिक-आर्थिक कारक**— गरीबी, शिक्षा की कमी और आर्थिक असमानताएँ जेंडर-आधारित हिंसा के प्रति व्यक्तियों की असंवेदनशीलता को बढ़ाती हैं। सीमित आर्थिक अवसर, दुर्व्यवहार करने वाले साझेदारों या परिवार के सदस्यों पर निर्भरता तथा संसाधनों और न्याय प्रणालियों तक असमान पहुँच हिंसा के चक्र को कायम रखती है।
- **सांस्कृतिक स्वीकृति और चुप्पी**— कुछ समाजों में, जेंडर आधारित हिंसा को एक निजी मामला माना जाता है और पीड़ितों को महत्वपूर्ण सामाजिक कलंक और चुप रहने के दबाव का सामना करना पड़ता है। यह सांस्कृतिक स्वीकृति और चुप्पी घटनाओं की कम रिपोर्टिंग और मदद या न्याय माँगने में बाधाएँ पैदा करती है।
- **कमजोर कानूनी और न्याय प्रणालियाँ**— अपर्याप्त कानूनी ढाँचे और कमजोर न्याय प्रणालियाँ जेंडर-आधारित हिंसा को रोकने और प्रतिक्रिया देने के प्रयासों में बाधा डाल सकती हैं। कानूनी प्रणाली के भीतर अपर्याप्त संसाधन, भ्रष्टाचार और भेदभावपूर्ण प्रथाएँ पीड़ितों को न्याय माँगने से हतोत्साहित करती हैं और अपराधियों के लिए दंडमुक्ति की संस्कृति को कायम रखती हैं।

- **जागरूकता और शिक्षा की कमी**— जेंडर समानता, मानवाधिकार एवं हिंसा के बारे में सीमित जागरूकता और समझ जेंडर-आधारित हिंसा के बने रहने में योगदान करती है। जेंडर आधारित हिंसा को चुनौती देने के लिए व्यापक यौन शिक्षा, जागरूकता अभियान और समुदाय-आधारित कार्यक्रम आवश्यक हैं।

जेंडर-आधारित हिंसा के उदाहरण बताते हैं कि स्कूलों और कॉलेजों में अक्सर महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण का अभाव होता है, जिससे परिवार उनकी शिक्षा को लेकर संशय में रहते हैं। शैक्षणिक संस्थानों में बेहतर सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए लड़कियों की सुरक्षा उनकी शिक्षा से अधिक महत्वपूर्ण है।

- देहरादून के एक स्कूल में चार वरिष्ठ छात्रों ने एक 14 वर्षीय लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार किया, उसे एक सप्ताह तक एक कमरे में बंद रखा और उसे जड़ी-बूटियाँ, मिर्च और पपीता खाने के लिए मजबूर किया। स्कूल प्रशासकों ने स्कूल की अखंडता को बचाने के लिए गर्भपात कराने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे (भारद्वाज, 2019)।
- दिल्ली संचालित एक स्कूल में एक इलैक्ट्रीशियन द्वारा छह वर्षीय लड़की के साथ कथित तौर पर बलात्कार किया गया। मेडिकल रिपोर्ट में घटना की पुष्टि हुई और स्कूल की प्रधानाध्यापिका सहित चार सरकारी अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया (वर्मा, 2018)।
- झारखंड के कोडरमा जिले में एक स्कूल प्रिंसिपल को छह साल की बच्ची से कथित तौर पर बलात्कार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। घटना 29 नवंबर 2017 को स्कूल के वॉशरूम में हुई, जहाँ वह चिल्लाई तो प्रिंसिपल ने उसे चॉकलेट दी। प्रिंसिपल ने किसी भी महत्वपूर्ण अपराध से इनकार किया और तनाव के कारण इस घटना को 'आकस्मिक' बताया *(इंडो-एशियन न्यूज सर्विस*, 2017)।

भारत महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न की व्यापक समस्या का सामना कर रहा है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा हाल ही में जारी आँकड़ों के अनुसार, 2019 में प्रतिदिन 88 बलात्कार के मामले दर्ज किए गए। 2019 में, राजस्थान में लगभग 6,000 बलात्कार के मामले दर्ज किए गए, उत्तर प्रदेश में 3,065 मामले दर्ज किए गए (राय, 2020)। इस स्थिति के कारण माता-पिता शैक्षणिक संस्थानों में सुरक्षा चिंताओं के कारण अपनी बेटियों को स्कूल छुड़वाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा युवा लड़कियों को स्कूल जाने से रोकती है और उनकी शिक्षा में बाधा डालती है।

जेंडर-आधारित हिंसा का प्रभाव

संपूर्ण विश्व में अन्य संदर्भों में जेंडर-आधारित हिंसा पर बहुत अधिक शोध उपलब्ध हैं, जबकि शैक्षिक संदर्भ में केवल सीमित मात्रा में शोध किए गए हैं। अतः यह स्पष्ट है कि शिक्षण संस्थानों को महिलाओं और छात्राओं के लिए सुरक्षित वातावरण बनाने की तत्काल आवश्यकता है। एक स्वस्थ वातावरण बनाने के लिए तथा संपर्क अंतर्दृष्टि विकास के लिए जेंडर-संवेदनशील शिक्षार्थियों का होना महत्वपूर्ण है। महिलाओं के खिलाफ जेंडर हिंसा के कारण, शैक्षिक परिसर में अनुपस्थिति बढ़ जाती है और इसके

परिणामस्वरूप एकाग्रता की कमी, आत्मसम्मान में कमी, अवसाद, चिंता और तनाव होता है, जिसके परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति के समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन में गिरावट आती है। यह महिलाओं के स्वास्थ्य के सभी पहलुओं अर्थात शारीरिक, यौन, मानसिक और व्यवहारिक स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। इस प्रकार उन्हें अपनी पूरी क्षमता का एहसास करने से रोकता है। जेंडर-आधारित हिंसा व्यक्ति के गरिमा और आत्म-सम्मान को नष्ट कर देती है। इसका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों पर प्रभाव पड़ता है और इससे अकेलापन, अवसाद और आत्महत्या के विचार पैदा हो सकते है।

- जेंडर-आधारित हिंसा के विभिन्न रूप वैश्विक स्तर पर कई प्रकार की मानसिक बीमारियों को जन्म देते हैं, जिनमें आघात और तनाव संबंधी विकार, खान-पान और व्यसन संबंधी विकार, चिंता, अवसाद, आत्महत्या, तनाव और मादक द्रव्यों का सेवन शामिल हैं।
- कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न के परिणामस्वरूप मानसिक स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दुर्घटना के वर्षों बाद भी पीड़ितों में मनोवैज्ञानिक समस्याएँ दिखाई देने की संभावना है, क्योंकि यौन उत्पीड़न एक दीर्घकालिक तनाव उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है।
- डिजिटलीकरण के साथ जेंडर-आधारित हिंसा के नए रूप सामने आए हैं। महिलाओं के खिलाफ साइबर हिंसा बढ़ रही है, जो हमलावरों की छिपी पहचान के कारण उन्हें दंड से बचने और हिंसा करने में सक्षम बनाती है।
- स्कूल-संबंधित जेंडर-आधारित हिंसा एक वैश्विक घटना है, जिसमें विद्यार्थियों की भलाई एवं प्रदर्शन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना है। यह समाज में मौजूद जेंडर रुढ़िवादिता पर आधारित है और उसे पुष्ट करती है। इसमें विभिन्न प्रकार के व्यवहार, जैसे— यौन हिंसा और उत्पीड़न, शारीरिक दंड और धमकाना आदि शामिल हैं।
- महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ जेंडर-आधारित हिंसा मूल रूप से महिला रोजगार में महत्वपूर्ण गिरावट लाती है। महिलाएँ शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक हिंसा का अनुभव करती हैं, जिससे उनके लिए नौकरी हासिल करना या उसे बनाए रखना अधिक कठिन हो जाता है।
- जेंडर-आधारित हिंसा सामाजिक अलगाव को जन्म देती है। सामाजिक अलगाव सामाजिक संपर्क की अनुपस्थिति का वर्णन करता है और इससे अकेलेपन की भावना उत्पन्न हो सकती है। यह सामान्य सामाजिक नेटवर्क से कटे होने की स्थिति है, जो गतिशीलता की कमी, बेरोजगारी या स्वास्थ्य समस्याओं जैसे कारकों से उत्पन्न हो सकती है। अलगाव में लंबे समय तक घर पर रहना, सेवाओं तक पहुँच न होना या सामुदायिक भागीदारी नहीं होना और दोस्तों, परिवार एवं परिचितों के साथ बहुत कम या कोई संचार नहीं होना शामिल हो सकता है।

यद्यपि कारण और प्रभाव दिखाना चुनौतीपूर्ण है, लेकिन खराब शैक्षणिक प्रदर्शन और स्कूल छोड़ने की दर में जेंडर हिंसा का महत्वपूर्ण योगदान है। शोध (डन और अन्य, 2003) के अनुसार, कई माता-पिता स्कूलों में या उसके आस-पास लड़कियों

के खिलाफ होने वाली यौन हिंसा के बारे में चिंतित हैं और परिणामस्वरूप वे अपनी बेटियों को स्कूलों में जाने से रोकने या कम उम्र में शादी करने का निर्णय ले सकते हैं। उदाहरण के लिए, अपनी बेटियों की शारीरिक और यौन सुरक्षा के प्रति माता-पिता का डर दक्षिण एशिया में लड़कियों को स्कूल से रोकने का एक प्रमुख कारण प्रतीत होता है (अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, 2001)। यह स्पष्ट है कि स्कूल में असुरक्षित माहौल माता-पिता को बच्चों का नामांकन कराने से हतोत्साहित कर सकता है और स्कूल छोड़ने की दर में वृद्धि कर सकता है (लीच एवं हम्फ्रीज, 2007)।

स्कूलों में जेंडर हिंसा से छात्राओं की शैक्षणिक स्थिति प्रभावित होती है, चाहे वे सीधे पीड़ित के रूप में प्रभावित हों या अप्रत्यक्ष रूप से गवाह के रूप में। स्कूल संबंधी जेंडर आधारित हिंसा के छात्राओं पर कई नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं, जिनमें प्रेरणा की कमी, शैक्षणिक विफलता का खतरा बढ़ जाना, कक्षा में असफल होना, अनुपस्थिति, छात्राओं का मनोबल गिरना, अपने शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने की उनकी क्षमता में कमी और ड्रॉपआउट दरों में वृद्धि शामिल हैं (यू.एस.ए.आई.डी., 2008)।

विभिन्न स्थलों में बालिकाओं और महिलाओं पर जेंडर-आधारित हिंसा के रोकथाम के उपाय

स्कूलों में जेंडर-आधारित हिंसा को रोकने के सुझाव

- **सुरक्षित स्कूल कैंपस**— स्कूल कैंपस को सुरक्षित बनाने के लिए सुरक्षा उपायों का प्रयोग करें, जैसे कि सुरक्षा कैमरे, दरवाजे पर गार्ड और सुरक्षा कर्मचारी आदि।
- **जागरूकता कार्यक्रम**— स्कूल में जेंडर-आधारित हिंसा के खिलाफ जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएँ। छात्रों, शिक्षकों और माता-पिता को बालिकाओं पर होने वाली जेंडर-आधारित हिंसा, उसके परिणाम और इसको रोकने के महत्व के बारे में शिक्षा दें।
- **समुदाय भागीदारी**— समुदाय को छात्राओं के लिए सुरक्षित वातावरण बनाने में शामिल किया जाना चाहिए। स्थानीय संगठनों को भी साथ ले कर आएँ, जो ये सुनिश्चित करें कि छात्राओं की सुरक्षा स्कूल और कॉलेज के साथ-साथ समाज का भी दायित्व है।
- **रिपोर्टिंग प्रक्रिया**— छात्राओं को जेंडर-आधारित हिंसा की सूचना देने के लिए स्पष्ट रिपोर्टिंग प्रक्रिया बनाई जाए तथा पीड़ितों की गोपनीयता और सुरक्षा को प्राथमिकता को महत्व दिया जाए।
- **स्कूल स्टॉफ के लिए प्रशिक्षण**— शिक्षकों और स्कूल कर्मचारियों को जेंडर-आधारित हिंसा के संकेतों की पहचान करने और उचित रूप से प्रतिक्रिया देने के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाए।

हॉस्टल में जेंडर-आधारित हिंसा को रोकने के सुझाव

- **स्पष्ट नियम और निर्देश**— हॉस्टल के नियमों और निर्देशों को स्पष्ट करें तथा जेंडर-आधारित हिंसा के खिलाफ जागरूकता को प्रोत्साहित करें। विद्यार्थियों को सेक्सुअल हिंसा, मौखिक हिंसा के संकेतों की पहचान करने और रिपोर्ट करने के लिए समय-समय पर उनके अधिकारों के बारे में शिक्षा दें।

- **महिला गार्ड की नियुक्ति को प्राथमिकता**— हॉस्टल में महिला गार्ड कि नियुक्ति को प्राथमिकता दी जाए, जिनसे छात्राओं को अपनी समस्या बताने में सहज महसूस हो और वह बिना किसी डर के हॉस्टलों में आ जा सकें।
- **सुरक्षित प्राधिकृत जाँच**— हॉस्टल के छात्राओं की सुरक्षा के लिए नियमित अंतराल पर सुरक्षा की जाँच करें, जैसे— सुरक्षा कैमरे, दरवाजे पर गार्ड और आवश्यक सुरक्षा उपाय आदि।
- **इंटरकॉम और अलार्म सिस्टम**— हॉस्टल में इंटरकॉम और अलार्म सिस्टम इंस्टॉल करें, ताकि छात्राएँ आपत्ति की सूचना दे सकें और तुरंत मदद पा सकें।
- **सुरक्षित पासवर्ड और चाबी**— हॉस्टल की चाबी और सुरक्षित पासवर्ड का प्रबंधन करें, ताकि केवल औपचारिक और हॉस्टल वार्डन ही इसका उपयोग कर सकें।
- **शिक्षा और प्रशिक्षण**— हॉस्टल के वासियों को जेंडर-आधारित हिंसा के खिलाफ कैसे सुरक्षित रहना है, इसके बारे में प्रशिक्षण दें। साथ ही, हर आने-जाने वाले कर्मचारी का पूर्व रिकॉर्ड अवश्य जाँच लें।

आँगनवाड़ी में महिलाओं के खिलाफ जेंडर-आधारित हिंसा को रोकने के सुझाव

- **सुरक्षित और निगरानी वादित आँगनवाड़ी**— आँगनवाड़ी को सुरक्षित बनाने के लिए उपयुक्त सुरक्षा उपायों का प्रयोग करें। इसमें सुरक्षा कैमरे, दरवाज़े पर गार्ड और सुरक्षा कर्मचारी शामिल हो सकते हैं।
- **महिला कर्मचारियों का समर्थन**— आँगनवाड़ी में महिला कर्मचारियों की नियुक्ति करें और उन्हें सुरक्षा के मामले में सशक्त करें।
- **सुरक्षित खिलौने और खेल**— आँगनवाड़ी में खिलौने और खेल की विशेष सुरक्षा की जानी चाहिए, ताकि बच्चे खेलते समय भी सुरक्षित रह सकें। खेल-कूद के क्षेत्रों को सुरक्षित बनाने के लिए सुरक्षा के उपायों का प्रयोग करें, जैसे— सुरक्षा कैमरे, खेल-कूद के लिए निर्धारित समय और सुरक्षा कर्मचारी।
- **महिला सभा और समुदाय सहयोग**— महिला सभा और समुदाय के सहयोग से आँगनवाड़ी की सुरक्षा में सहायता प्राप्त करें और समुदाय को जेंडर-आधारित हिंसा के खिलाफ साझा जवाबदेही में शामिल करें।
- **गुड टच और बैड टच**— इसके बारे में छोटे बच्चों को जानकारी और प्रशिक्षण दिया जाए।
- **महिलाओं और बच्चों के अधिकारों का सशक्तीकरण**— महिलाओं और बच्चों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करें तथा उन्हें अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए साहसिक बनाएँ।
- **बच्चों को विभिन्न कानूनों एवं अधिनियमों की जानकारी देना**— पी.ओ.सी.एस.ओ.ए. (Protection of Children from Sexual Offences Act) और किशोर न्याय अधिनियम, स्थानीय भाषा नियमों के साथ, स्कूल पुस्तकालयों और सामुदायिक केंद्रों में प्रसारित किया जाना चाहिए तथा कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।

शैक्षणिक संस्थानों में आने-जाने के दौरान होने वाली जेंडर-आधारित हिंसा को रोकने के सुझाव

- **सुरक्षित मार्ग**— शैक्षणिक संस्थानों तक आने-जाने के लिए सुरक्षित मार्गों को सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय अधिकारियों और समुदायों के साथ सहयोग करें। इसमें सड़क पर पर्याप्त प्रकाश रहना, टूटे फुटपाथ को ठीक करना तथा खतरनाक क्षेत्रों की पहचान और उन्हें सुधारना शामिल हो सकता है।
- **स्कूल बस सेवाएँ**— सुरक्षित यातायात को सुनिश्चित करने के लिए स्कूल बसों या अन्य विश्वसनीय परिवहन सेवाओं का उपयोग करने के लिए छात्राओं को प्रोत्साहित करें।
- **जागरूकता कार्यक्रम**— स्कूलों में और सार्वजनिक परिवहन में सुरक्षा एवं सावधानी के महत्व को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएँ।
- **सुरक्षित यात्रा**— सुरक्षित यात्रा के लिए सुरक्षा उपायों का पालन करें। सार्वजनिक परिवहन के आस-पास के क्षेत्रों को बेहतर रूप से जानने के लिए जागरूक रहें और उन स्थानों से दूर रहें जो खतरनाक हो सकते हैं।
- **सार्वजनिक परिवहन के स्थानीय नियमों का पालन**— सार्वजनिक परिवहन के स्थानीय नियमों का पालन करें, जैसे कि सीट बेल्ट पहनना, गाड़ी में खड़े होने के नियमों का पालन और यात्रा के दौरान विशिष्ट सुरक्षा नियमों का पालन करें।
- **संगठित समुदाय सहयोग**— स्कूल, समुदाय और स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए संगठित समुदाय सहयोग करें।
- **सामाजिक सशक्तीकरण**— शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं और छात्राओं को जेंडर-आधारित हिंसा के खिलाफ स्वयं को सशक्त करने के लिए शिक्षित करें और उन्हें अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए साहसिक बनाएँ।

भारतीय साहित्य में महिलाओं के खिलाफ जेंडर-आधारित हिंसा के विषय पर कई उपन्यास, कहानियाँ, कविताएँ और नाटक लिखे गए हैं। ये कविताएँ और कहानियाँ महिलाओं की सामाजिक स्थिति, उनके अधिकारों के उल्लंघन और जेंडर-आधारित हिंसा के प्रति जागरूकता फैलाने का प्रयास करती हैं।

- ***कोरमण्डल डायरी***— रावी सुब्रमण्यम के इस उपन्यास में एक महिला की कहानी है, जिन्होंने अपने जीवन में जेंडर-आधारित हिंसा के खिलाफ लड़ा है।
- ***पिनका***— अमृता प्रीतम की यह कविता महिलाओं के खिलाफ जेंडर-आधारित अत्याचार के विरुद्ध आवाज़ उठाती है और महिलाओं को समर्पित है।
- ***छायाचित्रित जीवन***— कमला दास की कविता 'छायाचित्रित जीवन' महिलाओं के जीवन में जेंडर-आधारित भेदभाव के खिलाफ होने वाले संघर्ष को दर्शाती है।
- ***ये दुनिया अब आपकी नहीं***— आनंद कौसल्यायन के इस उपन्यास में जेंडर-आधारित अत्याचार और उसके प्रति महिलाओं की संघर्ष की कहानी है।

जेंडर-आधारित हिंसा रोकने के लिए की गई पहल

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को यह सुनिश्चित करने के लिए अनुशंसा की हैं कि शिक्षण संस्थानों में महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* स्कूल परिसर के अंदर एवं बाहर, स्कूल और कॉलेज जाने वाली छात्राओं की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करती है। स्कूलों और कॉलेजों को महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न, भेदभाव और वर्चस्व रहित माहौल सुनिश्चित करना होगा। शिक्षाविदों ने कई मंचों पर कहा है कि शिक्षा महिला सशक्तीकरण की ओर ले जाती है, जो स्वतः ही उनके साथ होने वाली हिंसा को खत्म कर देती है।

- वर्ष 2020 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा जारी मैनुअल में कहा गया है कि स्कूल प्रबंधन समितियाँ मिलकर जेंडर-आधारित भेदभाव और जेंडर-आधारित हिंसा पर संदेश प्रसारित करने के लिए गतिविधियों की योजनाएँ बना सकती हैं। भ्रूणहत्या, शिशुहत्या, बलात्कार, घरेलू हिंसा, यौन शोषण, वैवाहिक बलात्कार, बाल विवाह और ऐसी ही कुप्रथाओं को रोकने के लिए सामाजिक समूहों, विशेषकर महिलाओं को ऐसी गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल किया जाना चाहिए (रा.शै.अ.प्र.प., 2006)।
- संविधान महिलाओं के पक्ष में कटिबद्ध है। जेंडर-आधारित हिंसा के समाधान के निवारण के लिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक कल्याण योजनाएँ चल रही हैं, उदाहरण के लिए, महिला 181 हेल्पलाइन, जिसे वन स्टॉप सेंटरों (OSCs) के साथ एकीकृत किए जाने की योजना है। 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' और 'महिला उद्यम निधि' जैसी योजनाएँ शिक्षा और वित्तीय स्वतंत्रता के रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए लाई गई हैं, वहीं शोषण और मानव तस्करी के मुद्दों से निपटने के लिए 'उज्ज्वला योजना' को लाया गया है।
- भारत में जेंडर-आधारित हिंसा से निपटने में नागरिक समाज के योगदान और महत्व को पहचानने की आवश्यकता है। गैर-सरकारी संगठन (एन.जी.ओ.) हमेशा ही महिला अधिकारों की रक्षा में सबसे आगे रहे हैं। उन्होंने जेंडर-आधारित हिंसा संबंधी अनुसंधान, वकालत, राहत कार्यक्रम, जागरूकता और जेंडर से जुड़ी समस्याग्रस्त मान्यताओं के प्रति समाज की मानसिकता बदलने की दिशा में काम किया है। स्थानीय संस्थाएँ उन समुदायों के बारे में बेहतर समझ रखती हैं जिनके साथ वे मिलकर काम करती हैं और वे बड़े संस्थानों की तुलना में समुदाय के भीतर उन महिलाओं तक आसानी से पहुँच सकती हैं, जो समस्याओं से प्रभावित एवं उनके प्रति संवेदनशील हैं। महिलाओं को अपराधों की रिपोर्टिंग के लिए प्रोत्साहित करने हेतु सुरक्षित माहौल प्रदान करना आवश्यक है।
- स्कूल एक आदर्श सामाजिक संस्था के रूप में काम कर सकते हैं, जहाँ जेंडर रुढ़िवादिता के खिलाफ अभियान शुरू किया जा सकता है। जेंडर-आधारित हिंसा के संबंध में जागरूकता को पाठ्यक्रमों में बदलाव के माध्यम से हासिल किया जा सकता है, जहाँ बहस और

संवाद जैसे विकल्पों के माध्यम से संघर्ष की स्थिति से निपटा जा सकता है और साथ ही एक परिवार के भीतर मौजूद रिश्तों के विभिन्न रूपों की पहचान के माध्यम से पारंपरिक जेंडर भूमिकाओं से जुड़ी धारणाओं को चुनौती दी जा सकती है तथा शोषण के अलग-अलग प्रकारों की पहचान की जा सकती है। छात्राओं को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करने तथा कानूनी साक्षरता को पाठ्यक्रम में अनिवार्य रूप से शामिल करने की आवश्यकता है। जेंडर-उत्तरदायी शैक्षिक पाठ्यक्रम ही शैक्षिक प्रणाली और समाज के भीतर जेंडर पूर्वाग्रह एवं भेदभाव को बदलने में सक्षम है।

- अंतर्राष्ट्रीय महिला अनुसंधान केंद्र द्वारा चलाए जा रहे जी.ई.एम.एस. (जेंडर इक्विटी मूवमेंट इन स्कूल्स) कार्यक्रम ने एक ऐसा पाठ्यक्रम तैयार किया है, जिसकी मदद से युवा छात्रों को जेंडर असमानता से जुड़े गंभीर प्रभावों को समझाया जा सकता है, जिसे भारत, बांग्लादेश, वियतनाम और फिलीपींस में सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया जा चुका है और इस कार्यक्रम के सकारात्मक परिणाम मिले हैं।
- शिक्षा में कानून, व्यक्तिगत सुरक्षा, परिणाम, स्वास्थ्य, जेंडर भूमिका, स्वस्थ रिश्ते और समुदाय की भूमिका पर बल दिया जाना चाहिए। नुक्कड़-नाटकों, सिनेमा और रेडियो के प्रचार के माध्यम से कार्यशाला और कक्षा-आधारित यौन उत्पीड़न रोकथाम कार्यक्रमों को परिसर-व्यापी जन मीडिया और सार्वजनिक सेवा घोषणाओं के साथ पूर्ण किया जाना चाहिए।
- परिसर में महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाया जाना चाहिए। महिला क्लबों और संगठनों को समर्थन देने के लिए सक्रिय कदम उठाकर, महिला सशक्तीकरण सप्ताह चलाकर और रिपोर्टिंग प्रक्रिया को पारदर्शी एवं मैत्रीपूर्ण बनाकर छात्र निकाय को आश्वस्त किया जाना चाहिए। महिलाओं की आवाज महत्वपूर्ण है और सुनी जाती है, यह संदेश देना आवश्यक है। यौन उत्पीड़न एवं बलात्कार के मामलों को संभालते समय पीड़िता को दोष न देकर, उनसे प्रेम और सहानुभूति से पेश आने, उनकी बातों को ध्यान से सुनने और फिर निर्णय लेने की आवश्यकता है।
- कैंपस सुरक्षा और विद्यार्थियों को जोड़ने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करें। यह महत्वपूर्ण है कि कॉलेज एक ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करें, जिस तक विद्यार्थी पहुँच सकें और एक फोन ऐप का उपयोग करें, जो उन्हें रिपोर्ट करने की अनुमति देगा। परामर्श और काउंसलिंग सहायता प्रदान करें, जेंडर हिंसा से ग्रसित छात्राओं को सहायता प्रदान करना उतना ही महत्वपूर्ण है, जितना कि पहले हमले को रोकने के लिए कदम उठाना। परिसर में कर्मचारियों और संकाय को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि मदद की तलाश में उनके पास आने वाली छात्राओं को कहाँ निर्देशित किया जाए और पीड़ित के मानसिक स्वास्थ्य के लिए क्या संसाधन उपलब्ध हैं।
- एन.आई.ओ.एस. (नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग) ने सी.ओ.एल. (कॉमनवेल्थ

ऑफ लर्निंग) के सहयोग से जेंडर और पर्यावरण के क्षेत्र में एक शिक्षक प्रशिक्षण परियोजना जी.जी.टी. (जेंडर ग्रीन टीचर) शुरू की है। यह स्कूल पदाधिकारियों के लिए एक आई.सी.टी. सक्षम, सेवाकालीन पेशेवर विकास प्रशिक्षण पाठ्यक्रम है, जिसका व्यापक उद्देश्य शिक्षकों को शिक्षण-सीखने की प्रक्रिया में जेंडर और पर्यावरण सामग्री को एकीकृत करने और मुख्यधारा में लाने के लिए संवेदनशील बनाना है।

जेंडर-आधारित हिंसा के नियंत्रण हेतु न केवल एक मजबूत कानूनी सहायता नेटवर्क की आवश्यकता है, बल्कि आर्थिक स्वतंत्रता, महत्वपूर्ण शिक्षा और जागरूकता, वैकल्पिक आवास और समाज, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, पुरुषों के दृष्टिकोण और मानसिकता में बदलाव की आवश्यकता भी है। सबसे महत्वपूर्ण बात, स्वयं महिला को समतावादी मूल्यों पर बल देते हुए शक्ति और भूमिका के संदर्भ में समाज का पुनर्गठन करने की आवश्यकता है। समान संबंधों को बढ़ावा देने वाले स्कूल-आधारित कार्यक्रम, जागरूकता अभियान चलाए जाएँ, जहाँ छात्र-छात्राओं को एक-दूसरे को समान रूप से देखने का नजरिया मिले और खुलकर बातचीत हो। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के इतिहास वाले कर्मचारियों और शिक्षकों को काम पर न रखें। यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनका परिसर एक सुरक्षित स्थान है, यह शिक्षण संस्थानों की जिम्मेदारी है कि वे स्टाफ सदस्यों की पृष्ठभूमि की जाँच करें, जिसमें महिलाओं के साथ उनके व्यवहार के संबंध में पिछले आचरण का ज्ञान शामिल हो।

निष्कर्ष

महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए 25 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, जेंडर-आधारित हिंसा से निपटने के लिए 16 दिनों की कार्रवाई की जाती है। भारत ने विगत 40 वर्षों में जेंडर-आधारित हिंसा का समाधान खोजने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। हालाँकि, जेंडर-आधारित हिंसा से संबंधित प्रमुख मुद्दे, जैसे— पितृसत्तात्मक संरचनाएँ, संस्थागत ढाँचे की अपर्याप्तता, जेंडर पक्षपाती धारणाएँ, पीड़ितों के लिए पुनर्वास सुविधाएँ और कानूनी प्रावधानों में खामियाँ को अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। इन नीतियों का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के संघर्ष और अभाव को समाप्त करके, अवसरों तक पहुँच बढ़ाना और विकास तथा सुरक्षा को संतुलित करके सामाजिक अस्थिरता में सुधार करना है। भारत जेंडर-आधारित हिंसा के प्रति संवेदनशील है। भारत में नीति निर्माण हेतु जेंडर-आधारित हिंसा के सभी सामाजिक और कानूनी पहलुओं पर आधारित समाधान खोजे जाने आवश्यक हैं। शिक्षा में लैंगिक संबंधों के संदर्भ में सामाजिक परिवर्तन शुरू करने की अंतर्निहित क्षमता है। पाठ्यचर्या पुनर्गठन और सह-पाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियाँ युवाओं को अपने समुदायों में हिंसा के कारणों को समझने, ऐसी हिंसा को रोकने के लिए साथियों को शिक्षित करने और शामिल करने तथा समर्थन विकल्पों के बारे में जानने में मदद कर सकती हैं। संपूर्ण स्कूल दृष्टिकोण पूरे स्कूल समुदाय को हिंसा, यौन उत्पीड़न, बदमाशी और असहिष्णुता की अस्वीकार्य प्रकृति पर सहमत होने की आवश्यकता पर बल देता है।

सदंर्भ

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन. 2001. सिचुएशनल एनालाइसिस ऑफ जेंडर-बेस्ड वॉयलेंस इन सुरखेत एंड डोंग, जिनेवा. आई.एल.ओ., स्विट्जरलैंड. 17 जुलाई 2023. को https://un.org.np/sites/default/files/doc_publication/Nepal_Country Aanalysis_2011_Feb2013.pdf से प्राप्त किया गया.

अहमद, एस. 2015. सेक्सुअल हर्रस्मेंट. *फेमिनिस्ट्सकिलजोय्स*. 15 जून 2023 को https://feministkilljoys.com/2015/12/03/sexual-harassment// से प्राप्त किया गया है.

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस. 2017. स्कूल में प्रिंसिपल ने 6 साल की बच्ची से कथित तौर पर बलात्कार किया, उसे चॉकलेट दी. 9 मई 2023 को https://www.ndtv.com/india-news/principal-allegedly-raped-6-year-old-in-a-jharkhand-school-offered-her-chocolate-1782526 से प्राप्त किया गया.

इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय. 2020. *जेंडर-बेस्ड वॉयलेंस— जेंडर, लॉ एंड सोसाइटी*. आई.जी.एन.ओ.यू. 10 जुलाई 2023 को https://egyankosh.ac.in/bitstream/123456789/58097/1/Unit11.pdf से प्राप्त किया गया.

गलतुंग, जे. 1990. कल्चरल वॉयलेंस. *जर्नल ऑफ पीस रिसर्च*, 27(3). पृष्ठ संख्या, 291–305. सेज पब्लिकेशंस. 11 जुलाई 2023 को http://www.jstor.org/stable/423472 से प्राप्त किया गया है.

गाउस, ए. और ए. क्रिटजिंगर. 2007. डीलिंग विद सेक्सुअल हरैस्मेंट ऐट इंस्टीट्युशंस ऑफ हायर लर्निंग— पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन ऑफ अ साउथ अफ्रीकन यूनिवर्सिटी, *साउथ अफ्रीकन जर्नल ऑफ हायर एजुकेशन*. 21(1). पृष्ठ संख्या 68–84. 6 जुलाई 2023 को https://journals.co.za/doi/pdf/10.10520/EJC37312 से प्राप्त किया गया.

डन और अन्य. 2003. जेंडर एंड वॉयलेंस इन स्कूल्स. 17 जुलाई 2023 को https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000146763 से प्राप्त किया गया.

पाण्डेय, ए. 2021. चेंजिंग अस्पेक्ट्स ऑफ जेंडर वॉयलेंस विद स्पेशल रिफरेन्स टू ईव टीजिंग अ सोशियोलॉजिकल स्टडी बेस्ड ऑन वाराणसी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश (डॉक्टोरल डिजर्टेशन, काशी हिंदू विश्वविद्यालय). 8 जुलाई 2023 को http://hdl.handle.net/10603/370804. से प्राप्त किया गया.

ब्लूम, एस. 2008. वॉयलेंस अगेंस्ट वीमेन एंड गर्ल्स— अ कोम्पेदियम ऑफ मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन इंडीकेटर्स. (यू.एस.ए.आई.डी.). पृष्ठ संख्या 14. 9 जून 2023 को https://www.measureevaluation.org/resources/publications/ms-08-30/at_download/document से प्राप्त किया गया.

भारद्वाज, ए. 2019. देहरादून के स्कूल में 14 साल की बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म, 6 दिन तक जबरन खिलाई मिर्च और पपीता. 9 मई 2023 को https://theprint.in/india/14-year-old-gang-raped-in-dehradun-school-was-force-fed-chillies-papaya-for-6-days/220862/ से प्राप्त किया गया.

मीना, वी. 2022. एटीट्युड ऑफ आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज स्टूडेंट्स टुवर्ड्स जेंडर सेंसिटीविटी एंड वॉयलेंस अगेंस्ट वीमेन इन चेन्नई डिस्ट्रिक्ट (डॉक्टोरल डिजर्टेशन, मद्रास विश्वविद्यालय). 8 जुलाई 2023 को http://hdl.handle.net/10603/387953 से प्राप्त किया गया.

यू.एस.ए.आई.डी. 2008. तकनीकी संक्षिप्त— स्कूल से संबंधित लिंग आधारित हिंसा को संबोधित करना. यू.एस.ए.आई.डी. को 9 मई 2023 को https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/Pnadm831.pdf से प्राप्त किया गया।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो. 2012. ब्यूरो की रिपोर्ट. 15 जून 2023 को https://ncrb.gov.in/en/search/node/crime%20against%20women से प्राप्त किया गया.

रा.शै.अ.प्र.प. 2006. *पोजीशन पेपर नेशनल फोकस ग्रुप ऑन जेंडर इश्यूज इन एजुकेशन*. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली. 1 जुलाई 2023 को https://ncert.nic.in/pdf/focus-group/gender_issues_in_education.pdf से प्राप्त किया गया.

———. 2020. *शिक्षा में समावेशन— स्कूल प्रबंधन समिति के लिए एक संदर्शिका*. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली. 1 जुलाई 2023 को https://ncert.nic.in/pdf/announcement/Inclusion_in_Eduction.pdf से प्राप्त किया गया.

राय, डी. 2020. महिलाओं के लिए कोई देश नहीं— भारत में 2019 में हर दिन 88 बलात्कार के मामले दर्ज किए गए. इंडिया टुडे. 9 मई 2023 को https://www.indiatoday.in/diu/story/no-country-for-women-india-reported-88-rape-cases-every-day-in-2019-1727078-2020-09-30 से प्राप्त किया गया.

लीच, एफ. और एस. हम्फ्रीज. 2007. स्कूल्स— टेकिंग द 'गर्ल्स-एज-विक्टिम्स' डिस्कोर्स फोरवर्ड, जेंडर एंड डेवेलपमेंट. (School: taking the 'girl-as-victims' discourse- forward) वॉल्यूम 15, नंबर 1, पृष्ठ संख्या 51–65. DOI: 10.1080/13552070601179003

वर्मा, एस. 2018. दिल्ली के सरकारी स्कूल में इलेक्ट्रीशियन ने दूसरी कक्षा की छात्रा से कथित तौर पर बलात्कार किया. 9 मई 2023 को https://www.ndtv.com/india-news/class-2-student-raped-allegedly-by-electrician-in-government-school-in-delhi-accused-arrested-1898184 से प्राप्त किया गया.

वासुदेव, एस. 2012. यौन अपराध भारत में हर दिन 42 महिलाओं का बलात्कार होता है, हर 35 मिनट में एक का बलात्कार होता है. इंडिया टुडे. 4 जुलाई 2023 को https://www.indiatoday.in/magazine/cover-story/story/20020909-sexual-crimes-42-women-raped-every-day-in-india-one-every-35-minutes-796376-2002-09-08 से प्राप्त किया गया.

विश्व स्वास्थ्य संगठन. 2012. *अंडरस्टैंडिंग एंड एड्रेसिंग वॉयलेंस अगेंस्ट वीमेन*. विश्व स्वास्थ्य संगठन. 7 जुलाई 2023 को http://www.jstor.org/stable/resrep45093 से प्राप्त किया गया.

———. 2020. वॉयलेंस अगेंस्ट वीमेन. 13 जुलाई 2023 को https://www.who.int/health-topics/volution-against-women#tab=tab_1 से प्राप्त किया गया.

———. 2021. 'वॉयलेंस अगेंस्ट वीमेन— फैक्टर्स एसोसिएटेड विद इंटिमेट पार्टनर वॉयलेंस एंड सेक्सुअल वॉयलेंस अगेंस्ट वीमेन'. 7 जुलाई 2023 को https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women से प्राप्त किया गया.

शंकर, एस. 2010. डोमेस्टिक वॉयलेंस एंड सेक्सुअल हैरस्मेंट ऑफ वीमेन एट वर्कप्लेस इन इंडिया (डॉक्टोरल डिजर्टेशन, इलाहाबाद विश्वविद्यालय) 7 जुलाई 2023 को http://hdl.handle.net/10603/241660 से प्राप्त किया गया.

शिक्षा मंत्रालय. 2020. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*. शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली. 11 जून 2023 को https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_Final_English_0.pdf से प्राप्त किया गया.

शेट्टी, ऐ.जी. 2017. स्टडी ऑफ नॉलेज एंड एटीट्युड ऑफ एडोल्सेंस टुवर्ड्स वॉयलेंस अगेंस्ट वीमेन ऑफ पुणे सिटी (डॉक्टोरल डिजर्टेशन, तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ). 6 जुलाई 2023 को http://hdl.handle.net/10603/212569 से प्राप्त किया गया.